उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

S.A.R. Appeal No.- 58/2010-11

(i) यह अपीलवाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा आर0पी0 केस नं0–30/2007–08 में दिनांक 14.06.2010 को पारित आदेश के खिलाफ है।

(ii) अपीलार्थी – श्रीमती जमुना देवी, पति–श्री शंकर प्रजापति, ग्राम–मातलाडीह, थाना–बागबेड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम एवं

(iii) प्रतिवादी – श्री रास बिहारी भूमिज, पिता–स्व0 राखाल भूमिज, थाना–बागबेड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम है।

(iv) भू–वापसी हेतु भूमि का विवरण निम्नप्रकार है:–
मौजा–घाघीडीह, थाना नं0–1169, खाता नं0–12, प्लॉट नं0–3796/अंश, रकवा–0.08ए0 है।

आदेश

1. यह S.A.R. Appeal आवेदन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, जमशेदपुर द्वारा R.P. Case No.-30/2007-08 में दिनांक 14.06.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी Jamuna Devi द्वारा दाखिल किया गया है। अपीलार्थी Jamuna Devi द्वारा अपील आवेदन में जिक्र किया गया है, कि "That the aforesaid property was recorded under Khata No.-12 in the name of Rakhal Bhumij, S/O Bhagu Bhumij and Rasika Bhumij, S/O Matla Bhumij but in the remarks column the possession of Rasika Bhumij was noted as the said property was allotted to the share of Rasika Bhumij in their partition and the respondent is not the heir and successor or legal representative of the said Rasika Bhumij. Therefore the present respondent did not have any right to file this case for restoration of possession."

2. S.A.R. Appeal आवेदन के GROUNDS में अंकित कंडिका (f). (g), (h), एवं (i) में जिक्र किया गया है, कि :–

(f) For that the land in question originally belonged to Rasika Bhumij as per the Khatian showing the possession of but neither said nor his heirs legal representatives have been made party to the proceeding of the R.P. Case by the respondent although ownership and possession of the said Rasika Bhumij was known to the respondent and the respondent had no right, title, interest over the land in question. Therefore the said proceeding suffered from non-joinder and mis-joinder of party and on that score alone the impugned order is liable to be set aside.

(g) For that the appellant raised objection to Anchal Office report

25/2/2016

showing specifically that her house stands on plot no.-3794 and not in plot no.-3796 as alleged by the Anchal office report falsely. Therefore the appellant was compelled to file a petition to appoint a survey knowing pleader commissioner to measure and locate the actual plot number where the house of the appellant is situated but no order was passed by the lower court for the same and as a result of which there has been a gross violation of the principles of natural justice in the instant case.

(h) For that the respondent is bent upon to dispossess her from plot no.-3794 which was not the proceeding land of the said R.P. Case connivance with the Anchal Officer Staffs. Therefore, it is necessary for the ends of justice to remeasure the land in question by independant agency except the Anchal Staffs.

(i) For that the order passed by the Learned court below under the circumstance stated above is without Jurisdiction as no power was conferred by sub-clause (a) of clause (viii) of dection 3 of the Chotanagpur Tenancy Act. 1908 (Bengal Act-VI of 1908) by the Governor of the State to the L.R.D.C. Jamshedpur who passed the said impugned order.

3. निम्न अदालत अभिलेख R.P.Case No.-30/2007-08 में दिनांक 14.06.2010 को पारित प्रश्नगत आदेश में उल्लेखित है, कि "प्रश्नगत भूमि मौजा–घाघीडीह, थाना न0–1169, प्लॉट नं0–3796/अंश हाल सर्वे खतियान में राखाल भूमिज, पिता मागू भूमिज एवं अन्य के नाम पर दर्ज है तथा जमाबंदी भी उन्हीं के नाम कायम है। प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण वैधिक नहीं है। प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अंचल अधिकारी ने भू–वापसी हेतु अनुशंसा किये हैं। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का यह दावा अमान्य है कि प्लॉट नं0–3796/अंश पर दखल कब्जा नहीं है क्योंकि अंचल अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में विपक्षी का प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा अंकित किये हैं। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर मेरा अभिमत है कि स्पष्टतः इस वाद की प्रश्नगत भूमि में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71A आकर्षित होती है, चुँकि इसमें छोआनागपुर काश्ताकारी अधिनियम की धारा–46 का उल्लंघन हुआ है। अतः उक्त धारा के तहत आदेश पारित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–घाघीडीह, थाना नं0–1169, खाता नं0–12, प्लॉट नं0–3796/अंश, रकवा–0.08 ए0 का अंचल अमीन से नापी करा कर अगर विपक्षी का दखल–कब्जा है तो उसका दखल–कब्जा खतियानी रैयत के जीवित उत्तराधिकारी को वापस दिलाया जाय। यह आदेश अन्य प्लॉट पर लागू नहीं होगा। तदनुसार अंचल अधिकारी, जमशेदपुर को दखल–दिहानी परवाना निर्गत करें।"

4. निम्न अदालत अभिलेख में उपलब्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धालभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–797/रा0, दिनांक 31.03.2008 एवं पत्रांक–1709/रा0, दिनांक 30.07.2008 के आलोक में अंचलाधिकारी, जमशदेपुर के पत्रांक–2183, दिनांक 18.08.2008 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–घाघडीह, थाना नं0–1169, खाता नं0–12, प्लॉट नं0–3796/अंश, रकवा–0.08ए0 भूमि पर जमुना देवी का मकान बना हुआ है एवं भूमि पर वर्त्तमान विपक्षी का दखल–कब्जा है।

5. एस0ए0आर0 अपील आवेदन, निम्न अदालत अभिलेख एवं उसमें पारित प्रश्नगत आदेश, जाँच प्रतिवेदन, मापी प्रतिवेदन, कारण–पृच्छा, सम्पूर्ण अभिलेख उसमें उपलब्ध कागजातों संबंधित नियमों एवं प्रावधानों का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट

25/2/2016

है :–

(i) प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में राखाल भूमिज, पिता–मागू भूमिज, रसिका भूमिज, पिता–मातला भूमिज एवं खैरी भूमिजायीन, पिता–मातला भूमिज के नाम से दर्ज है तथा जमाबंदी भी उन्हीं के नाम कायम है जो आदिवासी भूमि है।

(ii) अपीलार्थी का दावा है कि उनका दखल plot no.-3794 पर है परंतु आदेश उनके विरूद्ध प्लॉट नं0–3796 के सम्बन्ध में पारित किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धालभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–1601, दिनांक 26.08.2009 के आलोक में अंचलाधिकारी, जमशदेपुर के पत्रांक–1960, दिनांक 28.08.2009 के द्वारा समर्पित मापी प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि "सम्बन्धित भूमि मौजा–घाघडीह, थाना नं0–1169, खाता नं0–12, प्लॉट नं0–3796/अंश, रकवा–0.08ए0 भूमि का मापी क्षेत्रीय राजस्व कर्मचारी के साथ हाल सर्वे 1960–61 नक्शा के आधार पर किया गया। प्लॉट नं0–3796/अंश पर जमुना देवी का पक्का दीवार, टाली एवं छप्पड़पोश मकान एवं आंगन पाया गया"। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर अपीलार्थी का यह दावा खारिज किया जाता है।

(iii) सरकार के द्वारा निर्गत अधिसूचना "S.O. 948, dated 01.08.1989 –In exercise of the powers conferred under Section 3 (viii)(a) of the Chota Nagpur Tenancy Act, 1908 (Bengal Act VI of 1908), and Section 2 of the Bihar Scheduled Areas Regulation, 1969, the Governor of Bihar is pleased to empower all the Deputy Collectors, incharge Land Reforms, posted at the Sub-Divisional Headquarters of the Southern Chota Nagpur Division to discharge the function of the Deputy Commissioner under Sections 46 and 71A of the Chota Nagpur Tenancy Act, 1908 (Bengal Act VI of 1908) within the limit of their administrative jurisdiction." के आलोक में यह स्पष्ट है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जमशेदपुर द्वारा competent jurisdiction एवं due authority exercise करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जमशेदपुर द्वारा transgression of legal authority नहीं किया गया है।

(iv) अपीलार्थी गैर आदिवासी है तथा प्रश्नगत खाता आदिवासी रैयत के नाम से दर्ज है। अपीलार्थी द्वारा यह स्थापित नहीं किया गया कि आदिवासी खाते के किसी भी plot का हस्तांतरण अपीलार्थी को कब और कैसे हुआ।

(v) यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि खतियान में आदिवासी रैयत के नाम पर दर्ज है तथा उसका अवैध स्थानान्तरण गैर आदिवासी को हुआ है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा R.P. Case No.-30/2007-08 में दिनांक 14.06.2010 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक 25.02.2016 को पारित किया जा रहा है।

लेखापित एवं संशोधित

25/2/2016

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

25/2/2016

उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

Order copy & LC send to LR dt, Dhal vide M. N.- 131(3)
dt- 15/3/16